सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2017/00171

न्यायालय उपखण्डाधिकारी सैपऊ

पीठासीन अधिकारी -- हरिसिह लंम्बोरा (आर0 ए0 एस0)

प्रकरण संख्या– 75 / 2017
बलवीर कौर पत्नी कप्तानसिह जाति गुर्जर निवासी ग्राम खरगपुर तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

– – – – वादी

बनाम

1–मुन्ना 2–बाबू 3–मीरा पिसरान शिवदेई व श्रीराम 4–हरिभैजी पत्नी ओमप्रकाश 5–कमलेश 6–पवन 7–विष्णु 8–यादवेन्द्र पिसरान ओमप्रकाश समस्त जातिगण ब्राहमण निवासीगण नगला हवेली तहसील सैपऊ जिला धौलपुर 9– मंजू पुत्री ओमप्रकाश पत्नी राममूर्ति जाति ब्राहमण निवासी रूद्र का नगला तहसील खेरागढ 10–बबली पुत्री ओमप्रकाश पत्नी पप्पू जाति ब्रहमण निवासी बीलपुर तहसील बाडी 11–रीनेश पुत्री ओमप्रकाश पत्नी मुकेश जाति ब्रहमण निवासी बीलपुर तहसील बाडी 12–रामरेखा पुत्री ओमप्रकाश पत्नी मनोज जाति ब्राहमण निवासी डाढा होसियाना तहसील खेरागढ
13–पंजाब नेशनल बैंक शाखा बसईनबाब जरिये शाखा प्रवन्धक
14–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ वहैसियत लैण्ड होल्डर

– – – – प्रतिवादीगण

दावा बटवारा काश्त एंव स्थाई निषेधाज्ञा धारा 53,188 आौटीए

उपस्थिति –1–श्री योगेश कुमार शर्मा एडवोकेट .... (वादी)

निर्णय   दिनांक 13.07.2019

वादी द्वारा उक्त उनवानी प्रकरण न्यायालय में दिनांक 16.07.2017 को वास्ते बटवारा काश्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 1309 रकवा 2 वीघा 12 विश्वा स्थित वाके ग्राम खरगपुर पटवार क्षेत्र भदियाना तहसील सैपऊ का पेश किया । दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया । प्रतिवादीगण उपस्थित आये एंव बटवारा कराने की सहमति जाहिर की तथा गुणावगुण के आधार पर दिनांक 26.06.2018 को दावा प्रारंभिक रूप से डिक्री किया जाकर विवादित आराजीयात का वादी एंव प्रतिवादीगण के मध्य उनके नाम रिकार्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार बाई मीटस एण्ड बाउण्डस विभाजन कर तहसीलदार सैपऊ को आदेश दिये गये कि वह अच्छी में से तथा बुरी में से बुरी आराजी के पक्षकारो के रिकार्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवायें

तहसीलदार सैपऊ ने अपने पत्र कमांक:राजस्व / 2019 / 53 दिनांक 12.01.2019 से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवायें हैं । तहसीलदार सैपऊ से प्राप्त विभाजन प्रस्तावों पर विद्वान अभिभाषक वादी को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया । विवादित आराजी में वादी व प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदार काश्तकार हैं । तहसीलदार

...ऊ ने प्रेषित विभाजन प्रस्तावों में वादी व प्रतिवादीगण के हिस्से में रिकार्ड में दर्ज भूमि के अनुसार ही भूमि प्रस्तावित की है । इस प्रकार तहसीलदार सेपऊ द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव पक्षकारों के दर्ज हिस्से अनुसार ही हैं। तहसीलदार द्वारा विभाजित खसरा नम्बरों के वावत् प्रस्तावित तरमीम नक्शा भी प्रेषित किया है । ऐसी स्थिति में दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री करना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि दावा वादी मुताविक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा आराजी वादग्रस्त स्थित ग्राम खरगपुर पटवार क्षेत्र भदियाना तहसील सैपऊ के वावत् पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बटवारा किया जाता है :–

1. बलवीर कौरि पत्नी कप्तानसिह कौम गूजर सा0 खरगपुर खातेदार राहिन पीएनबी शाखा बसईनबाब मु0वि0क0

क्र0सं0	ख0नं0	रकवा बीघा में	लगान
1.	1309/1	1–19	8.78
योग	1	1–19	8.78

2. मुन्ना, बाबू पुत्रगण व मीरा, पूत्री श्रीराम हि0 बराबर 3/4 व हरिभैजी पत्नी ओमप्रकाश, कमलेश, पवन, विष्णु, यादवेन्द्र पुत्रगण ओमप्रकाश हि0 बराबर 5/36, सा0 नगला हवेली, व मंजू पुत्री ओमप्रकाश पत्नी राममूर्ति हि0 बराबर 1/36 निवासी रूद्व का नगला खेरागढ, बबली पुत्री ओमप्रकाश पत्नी पप्पू हि0 1/36 निवासी बीलपुर बाडी, रीनेश पुत्री ओमप्रकाश पत्नी मुकेश हि0 1/36 निवासी बीलपुर, बाडी, रामरेखा पुत्री ओमप्रकाश पत्नी मनोज हि0 1/36 निवासी डाढा होसियाना, खेरागढ जातिगण ब्राहमण खातेदारान

क्र0सं0	ख0नं0	रकवा	लगान
1.	1309/2	0–13	1.95
योग	1	0–13	1.95

उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज कर पक्षकारों के पृथक–पृथक खाता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही यह आदेश दिया जाता है कि विभाजित खसरा नम्बरान की आदेशानुसार राजस्व नक्शा में तरमीम की जावे । लगान के 20 गुणा राशि पर देय मुन्द्रांक शुल्क के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेश होने पर पर्चा डिक्री जारी किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 13.07.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(हरिसिह लम्बोरा)
उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ